SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDUR CODE, 1898

In the court of शिवानी शर्मा जे.एम.एफ.सी गोहद भिण्ड

प्रकरण क्रमांक 130 / 18

Name and address of the complain म0प्र0 शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला प्रशासन भिण्ड म0प्र0

name, parentage, caste and address of accused-

 योगेन्द्र सिंह तोमर पुत्र रणवीर सिंह तोमर निवासी प्रीतराज कॉलोनी पिंटू पार्क ग्वालियर

The offence complained of, and date of its alleqed commission

आपने दिनांक17.06.2018 को 23:10 बजे गोहद चौराह थाने के सामने गोहद में चैकिंग के दौरान आप शराब के नशे में उक्त वाहन चलाते पाये गये ।

तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा 185 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया। स्पष्ट करों अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों।

The plea of the accused and bis examination [if any]--<u>आरोपी का अभिवाक</u>—

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the property in respect of whitch the offence has been committed

/ / निर्णय / /

(आज दिनांक 18.06.2018 को घोषित किया गया)

- 1. अभियुक्त / अभियुक्तगण को धारा 185 मोटर यान अधिनियम के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढकर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त / अभियुक्तगण ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।
- 2. अभियुक्त / अभियुक्तगण द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे / उन्हें उक्त धारा 185 मोटर यान अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त / अभियुक्तगण को धारा मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत रूपए 2000 के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।
- 3. अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक को पन्द्रह दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
- प्रकरण में जप्तशुदा स्विफट कार क्रमांक एम पी 07 सी ई 6220 उसके
 पंजीकृत स्वामी को प्रदान कर व्ययनित की जावे ।

दिनांक— 18.06.2018

स्थान-भिण्ड

निर्णय आज दिनांकित एवं

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

(शिवानी शर्मा) जेएमएफसी गोहद (शिवानी शर्मा) जेएमएफसी गोहद